

स्थितवारी भू-राजस्व प्रणाली

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में व्यापक वंदीवस्त प्रणाली की दीर्घपूर्ण समाप्ति होने लगी। मद्रास प्रांत में यह व्यवस्था लोकप्रिय नहीं थी। 1792 ई० से 1802 ई० तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास प्रांत में सर्वेक्षण करवा कर शीघ्र ही अपने अधिनियम में कर लिया। इन नए तरीकों के अधिग्रहण के साथ यहाँ भूराजस्व प्रणाली कायम करनी थी।

1792 ई० में क्लैबन रीड और थॉमस मुनरी द्वारा स्थितवारी भू-राजस्व प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के प्रवर्तक थॉमस मुनरी को 1820 ई० में जब वे मद्रास की जर्नेर बने, तब मद्रास की सभी प्रांतों में इसे लागू किया गया। बाद में महाराष्ट्र, बिस-नाडु, आंध्रप्रदेश और आसाम में भी लागू किया गया। महाराष्ट्र में इसे जील्डसमिड (Gildesmeid) और विंगेट (Wingate) के प्रयास से लागू हुआ।

सर थॉमस मुनरी कृषकों और सरकार के बीच सीधा संबंध रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जमींदारी प्रणाली की प्रथा का विरोध किया। स्थितवारी भू-राजस्व का निर्धारण भूमि की कई वर्षों की उपज की औसत के आधार पर होता है। इसके लिए भूमि की सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। लगभग 20-30 वर्षों के उपरांत सरकार पुनः राजस्व को ठीक करती है और नए रूप में वंदीवस्त किया करती है।

## रैयतवारी भू-राजस्व

इसमें प्रत्येक भूमिद्वारी के लिए प्रथम-प्रथम लगान निर्दिष्ट की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यद्यपि सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का सत्कार्य होगा वा, किंतु व्यवहार में प्रत्येक रैजिस्टर्ड भूद्वारी रैयत भूमि का रखनी या/वह चाहे ती भूमि की वेधक रख सकता वा या बेच भी सकता वा। भूमि की अनुसार एक निर्दिष्ट समय के लिए लगान निर्दिष्ट किया जाता है।”

सर्वप्रथम 1792 ई० में भूराजस्व कृषि उपज का 1/2 भाग निर्धारित किया गया, जो कृषकों के लिए अत्यधिक था। अतः कामसु कुन्नी में 1807 ई० में भूराजस्व को बटाकर 1/3 भाग निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कंपनी के सचिवों ने सहमति दे दी। लेकिन रैयतों के लिए यह अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुई। यह राशि धन के रूप में किना वार्षिक उपज या प्रचलित वस्तुओं का ध्यान रखे कसूल की जाती थी। इस प्रणाली से रैयत की दशा अत्यन्त बर्धित हो गई, क्योंकि भू-राजस्व न देने पर उन्हें भूमि से वेदखल कर दिया जाता था, अतः वे स्थानीय महारजनों से बृहत् लक्ष्य कार्यकार होने गए। मद्रास में 1830, 1831 एवं 1832 ई० में अकाल, 1835 ई० से 1840 ई० तक अनावृष्टि के कारण रैयतों की दशा और भी खोचनीय हो गई। वे निर्धनता एवं भ्रष्टाचार के भार से पीड़ित रहे।

## रिजतकारी और राजस्व

और राजस्व का रिजत के साथ निवारण का कार्य जिलादारी (collectors) को सौंपा गया था, जिसे अपने जिले के लगभग 150,000 रिजतों (कस्बों) से अनुबंध करना था। उक्त राजस्व का निवारण आयोजित नहीं हुआ। क्योंकि निवारण के समय जी कृषक कृषि उपज की कम बतलाने में सफल हुए उन्का भूमि का कान कर दिया गया। इससे भ्रष्टाचार पतपा।

मद्रास में रिजतों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 1855 ई० में भूमि सर्वेक्षण और राजस्व कलेक्टा का कार्य प्रारंभ हुआ। इस का राजस्व की दर में कमी लाने तथा कृषि के क्षेत्र में विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया गया। और राजस्व प्रणाली को पहले की तरह इंग्लैंड के लिए श्यामी कर दिया गया। मद्रास की तरह कस्बों में कर्मों की गवर्नर सेलियुसन तथा कमिश्नर-चौपालिग के सहयोग से लागू किया गया। लेकिन इस का भी अवलोकन दुःखदायी सिद्ध हुई और किसानों पर पुनः भार पड़ गया।

इसके बावजूद भी इतिहासकारी ने इसका मूल्योक्तन करने हुए कहा कि

रथतवारी भू-राजत्व

इसमें कई गुण और दोष थे —

गुण:

- 1) भूमि पर कृषक का स्वामित्व मानते हुए भू-राजत्व का अनुबंध सीधे रथत से किया गया। इसमें मध्यम का कोई स्थान नहीं था।
- 2) भू-राजत्व क्षेत्र रहने तक भूमि पर रथत का अधिकार था, अतः वह कृषि की उन्नत बनाने के लिए प्रेरित था।
- 3) यद्यपि भू-राजत्व की दर कैंची थी, लेकिन इसकी अपारि-स्थायी रूप से लंबी थी। अतः बार-बार वृद्धि की चिंता से ही मुक्त थी।
- 4) भू-राजत्व का निष्पत्ति ग्राम स्तर पर न होकर प्रत्येक क्षेत्र की उपज के आधार पर निष्पत्ति था। अतः राजत्व भूमि में उर्वरा क्षमि पर वज्र भी गई थी।
- 5) क्रीष्ण सरमाट ने इस सिद्धान्त की स्वीकार किया कि इसका अधिकार भूमि की किराए की राशि नहीं बल्कि इसके अंश के रूप में भू-राजत्व है।

लेकिन इस प्रणाली में कुछ दोष भी अन्तर्लित थे —

# रीयतवारी मू-राजस्व

दोष:

- 1) यद्यपि मुन्शी ने मू-राजस्व व्यवस्था में काली की मात्रा  $\frac{1}{2}$  से  $\frac{1}{3}$  भाग काट दिया, फिर भी रीयतों के लिए यह सार्थक ही बाहर थी। रीयत प्रणाली निर्धन होने लगी।
- 2) यद्यपि मू-राजस्व की अनुबंधों की अवधि लम्बी थी 30 वर्ष की, लेकिन रीयतों को राहत नहीं मिली। वे सर्वत्र राजस्व कृषि से संबंधित रहते थे। उनमें मूनि से लाभान्वित होने की जलस समाप्त हो गई थी।
- 3) इस प्रणाली में मू-राजस्व की निवारण एवं जमा वसूली में ग्राम पंचायतों की सर्वथा उपेक्षा की गई, जिसके कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा मू-राजस्व वसूल करने समय रीयतों पर भ्रष्टाचार किए जाते थे, उनसे कृषि उपज की संवेदा से नहीं सूखा जाया था। वे निरंतर निर्धन होने चले गए।

इस प्रकार ग्रामीण जीवन अस्त-व्यस्त हो गई, खेतिहर राजस्व - अधिकारियों की निर्दयता के विनाश कुरा के निर्दयतापूर्वक जैसे समय में मू-राजस्व की सोग कृती थी, जब अकाल और महामारी फैली रहती थी। <sup>अकाल</sup> <sup>रीयतों के</sup> ~~उनके~~ विकास सरकारी दैनिकियों चुकाने का कोई साधन नहीं था।